विहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १ली सितम्बर, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अध्यक्ष द्वारा स्वागत सम्बोधन।

ADDRESS OF WELCOME BY THE SPEAKER.

अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण, संविधान के अन्तर्गत संगठित प्रथम विधान सभा के पंचम सत्र के आरम्भावसर पर मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सदा की भांति इस बार भी माननीय सदस्यगण संभा की कार्यवाहियों में पूर्ण उमंग एवं उत्साह के साथ भाग लेंगे।

इस वार उत्तर विहार में बाढ़ का भीषण प्रकोप एक दुःखद एवं अभूतपूर्व घटना हुई है। तिरहुत प्रमंडल के अधिकांश गांव तथा नगर जलमग्न हैं और लाखों मनुष्यों को अपरिमित क्षति पहुंची है। प्रकृति के इस कुठाराघात पर हम क्षुब्ध और शोकाकुल हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की जनता के प्रति यहां उपस्थित उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं अपनी ओर से तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों के सदस्यों की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा की कार्यवाही माननीय सदस्यों में वितरित कार्यसूची के अनुसार प्रारंभ होगी।]

विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में घोषणा।

ANNOUNCEMENT REGARDING THE LEADER OF OPPOSITION.

अध्यक्ष—मुझे एक विशेष सूचना देनी है वह यह है कि विरोधी दल के नेता पहले हमारे श्री सिदुई हेम्ब्रोम थे। वे अब विरोधी दल के नेता नहीं रहे। उनकी जगह पर श्री सुशील कुमार बागे, जो झारखंड पार्टी के सदस्य हैं, निर्वाचित हुए हैं। उनको मैं विरोधी दल का नेता घोषित करता हूं।

अभी अभी इन गल्लों को ९रु०से ९ ९० १२ आना प्रतिमन की दर पर नीलाम कर दिया गया। कमिश्नर द्वारा इस दर की मंजूरी भी हो चुकी। माल की डेलिवरी हो ही रही है।

(ङ) यदि सूचना प्रश्न (क) में दिये गये विवरण से स्पष्ट हो जाती है।

जो गल्ला नीलाम किया गया है वह घुन लगने के कारण भले ही कुछ खराब हुआ है, पर उसे सड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। सम्पूर्ण गल्लों के नीलाम हो जाने के बाद ही नुकसान का पक्का हिसाब हो सकता है, परन्तु मोटे तौर वर्तमान भाव से लगभग २३,०३० रु० नुकसान लगने का अन्दाज है। उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, वरन् अन्न निम्न कारणों से विकृत होते हैं :—

(१) सुदूर विदेशों से अन्न की प्राप्ति ;

(२) जनता में क्रय शक्ति की कमी के कारण अधिक कालतक गोदामों में पड़े रहना।

(३) सुदूर देहातों में पक्के गोदामों का अभाव।

गोपालगंज में स्टाकिस्टों की बहाली।

२५०। श्री हरि किशोर प्रसाद—क्या मंत्री पूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सन् १९५२ में गोपालगंज सबडिवीजन में ग्रेन स्टाकिस्ट की बहाली के लिए टेंडर मांगे गए थे ;

(ख) कहां-कहां से कितना माइनेज का टेंडर आया था, किनका सबसे कम था और किन-किन आदमियों की बहाली कब, कहां और किस दर हुई ;

(ग) क्या यह बात सही है कि कम रेट वाले प्रार्थी को बहाल न करके अधिक रेट वालों को बहाल किया गया ;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो ऐसा क्यों हुआ और सरकार को इससे कितने का नुकसान हुआ ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है। गत मई महीने १९५२ में स्टाकिस्टों की बहाली के लिये टेंडर मांगे गये थे, पर किसी ने भी टेंडर नहीं दिया। फलतः उस समय किसी की भी बहाली नहीं हुई।

(ख) प्रश्न (क) में दिये गये उत्तर के समक्ष यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न (क) में दिये गये उत्तर के समक्ष यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

IRON, CEMENT, LIME, ETC., IN THE DISTRICT OF SINGHBHUM.

251. Shri SUKHDEO MANJHI: (a) who are the agents of iron, cement, lime, asbestos sheets in the district of Singhbhum;

(b) at what rate they are sold to the public;

(c) what is the consumption of each item in the year 1952 to 1953 in the district of Singhbhum?

Shri HARINATH MISHRA: (a) Iron agent—

1. M/s. M. L. Rungta, Jugsalai, Jamshedpur.
2. M/s. G. B. Thakkar, Golmuri, Jamshedpur.

Cement agent—

1. M/s. Ranchandra Ladu Ram., Jugsalai.
2. M/s. Jalan Bros. Co., Jugsalai.
3. M/s. Chouthmal Tajmal, Jugsalai.
4. M/s. B. D. Costa, Jugsalai.
5. M/s. Bihar Central Trading Co., Jugsalai.
6. M/s. Parmanand Motilal, Jugsalai.
7. M/s. Hardeodass Motilal Chaudhary, Sakchi.
8. M/s. Ramnibas Rameshwarlal, Bistupur.
9. M/s. R. N. Guha, Bistupur.
10. M/s. S. Lal and Co., Ghatsila.
11. M/s. Ramrichpal Agarwala, Mosabani.
12. M/s. Chandjilal Nauranglal, Chakulia.
13. M/s. Kedarnath Ramjit Singh, Ghatsila.
14. M/s. Balkishundas Ramkishundas, Chaibassa.
15. M/s. Bansidas Ramnarayan, Chaibassa.
16. M/s. Khemkarandass Hurdutrai, Chaibassa.
17. M/s. Harkarandas Mangilal, Chaibassa.
18. M/s. Khatan Narbaran, Chaibassa.
19. M/s. New Chakradharpur Stores, Chakradharpur.
20. M/s. Balkishundass Ramkishundass, Chakradharpur.
21. M/s. Ramchandra Ladhuram, Seraikella.

Lime agent—

Nil.

Asbestos agent—

M/s. Harkarandass Mangilal, Chaibassa.

(b) *Iron*—

Sold on controlled rate fixed by the Government of India.

Cement—

1. Orissa Cement at Rs. 4-13-6 per bag of 112 lbs.
2. Portland Cement at Rs. 4-7-1 per bag of 112 lbs.
3. A. C. C. Chaibassa, Khelari, Kymore, at Rs. 4-10-3 per bag of 112 lbs.
4. Kalyanpur Cement at Rs. 4-10-3 per bag 112 lbs.
5. Rohtas Cement at Rs. 4-10-3 per bag of 112 lbs.
6. Niligiri Branch Portland Cement, Madhukari cement factory Madrass, at Rs. 5-14-8 per bag 112 lbs.

Lime and asbestos —

Their prices are not controlled.

(c) *Consumption*—

	1952.	1953.
Iron	504 tons	242 tons
Cement	105,377 bags	127,263 bags

Lime and asbestos—

These are not controlled commodities and not sold through the Supply Office.

पूर्ति विभाग के कर्मचारियों की संख्या।

२५२। श्री मुन्द्रिका सिंह—क्या मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) वर्तमान समय में बिहार सेक्रेटेरियट के पूर्ति विभाग में कितने कर्मचारी विभिन्न वर्गों के सहायक, टाइपिस्ट, कम्पाइलर, डायरिस्ट, चपरासी में कार्य कर रहे हैं;

(ख) विभिन्न वर्ग के ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी नौकरी तीन वर्ष से अधिक तथा दस से कम है और उन अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी नौकरी दस से ग्यारह वर्ष की है;

(ग) विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों में कितने स्थायी कर्मचारी हैं जो बिहार सरकार के दूसरे विभाग से आये हैं?

श्री हरिनाथ मिश्र—(क) बिहार सचिवालय के पूर्ति विभाग के कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है :—सहायक ४७, टाइपिस्ट ८, कम्पाइलर ४, डायरिस्ट ५।